


भारत सरकार के पत्र संख्या—F.No.11-268/2014-FC दिनांक 11 जुलाई 2014 द्वारा निर्धारित 7 बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना।

1. वन भूमि पर एकसीलेशन/डीएकसीलेशन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक प्रवेश व निकासी मार्ग, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित स्थल के अगल-बगल दोनों तरफ कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नहीं है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
4. प्रस्तुत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित है तथा इसमें किसी वृक्ष पातन निहित नहीं है।
5. मार्ग के किनारे स्थित वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किन लगाया जायेगा।
6. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के परिसर में कम क्षेत्र वाले वृक्षों का रोपण किया जायेगा जो बाउण्ड्रीवाल से 1.50 मी० के आफसेट पर प्रारम्भ होगा तथा हरियाली बनाये रखेगा जो रिटेल आउटलेट की भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्पर्क मार्ग सेप्रेटर आइलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।


अवधेश कुमार पाण्डेय
उपमहाप्रबंधक - रिटेल क्षेत्र
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
कानपुर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय

(वाई०पी० शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़।
प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़